श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है इसमें इनके मुख्य रूप से सजेशंस ही हैं। जहां कहीं भी हम लोगों के पास इस तरह की शिकायत आती है उनका तुरन्त निबटारा किया जाता है और जहां कहीं इस तरह की बातें होती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। यह बात सही है कि समय-समय पर जो रांग बिलिंग हैं उनकी शिकायतें आती रही हैं। लेकिन उनकी संख्या में अब बहुत कमी हो रही है। 1995-96 में पांच करोड़ छब्बीस लाख टेलीफोन के बिल जारी होते थे और एक लाख सत्तावन हजार शिकायतें होती थीं। अब जो प्रति वर्ष ऐबरेज है-इस साल 1999-2000 में बारह करोड़ इक्कीस लाख टेलीफोन के बिल जारी किए गए और उसमें शिकायत एक लाख चौहत्तर हजारी की हुई। इसी तरह से जो छूट दी गई, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं जहां 1995-96 में 26983 केस थे वहीं 1999-2000 में 23454 हैं और जो राशि में कुछ रिबेट दिया गया उसमें भी आप देखेंगे कि 1995-96 में तेरह करोड़ चौव्वन लाख था जो घट कर 11 करोड़ अढ़सठ लाख हो गया। हमको खुशी इस बात की है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो डॉयनेमिक एस.टी.डी. सिस्टम आया वह उपभोक्ताओं के हित में है। यह जो शिकायत आपने मालवीय नगर की और शिवालिक कि की है, मैं स्वयं गया था, यही नहीं, इस केस की जानकारी से पहले मैं वहां गया था और अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि डी.जी.एम. लेविल के अधिकारी के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, एस.डीओ. के खिलाफ भी कर्रवाई की है। तो मैं स्वयं चिंतित हूं, सरकार भी चिंतित है। चाहे गलत बिलिंग का सवाल हो या टेलीफोन के डिले का सवाल हो या और भी किस्म की टेलीफोन संबंधित शिकायत हो हम तुरन्त दूर करने की कोशिश करते हैं। टेलीफोन का कंज्यूमर जो है भगवान होता है और उस कंज्यूमर के हित का ख्याल रखना सर्वोपरि कर्तव्य है और उस संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं उसमें कार्रवाई करते हैं और माननीय सदस्य ने बिना नाम लिए हुए दो केस का जो हवाला दिया है वह हमारी नॉलिज में है और उसको हम डिपार्टमेंट से दिखवा रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट में किसी कर्मचारी की भी गलती होगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Registration of Documents

*703. SHRI S. AGNIRAJ: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lakhs of documents filed under the Companies Act with the Registrar of Companies are pending for registration and as such are not available for public inspection; and

(b) if so, what action is proposed to be taken so that these documents are available for public inspection?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Yes, Sir.

(b) In order to speed up the registration of documents, computerisation of office of ROCs has been taken up. An on-line registration system has been introduced under which documents are being registered on day-to-day basis and are being made available to public for inspection.

A special drive has also been launched from 1st May, 2000 to clear the pendency at an early date.

Alternative to Board for Industrial and Financial Reconstruction

†*704. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:
DR. D. MASTHAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to make an alternative arrangement for the 'Board for Industrial and Financial Reconstruction';

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have considered and outlines of the new arrangement as an alternative thereof; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB V KHE PATIL): (a) and (b) The functioning and efficacy of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), which was set up under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA), has been under active review of the Government. In view of certain deficiencies and problems in the functioning of the BIFR, Government had introduced a Bill in the Parliament in May 1997 to amend the SICA. These deficiencies and problem areas include, *inter alia,* restrictive definition of sickness and belated cognisance of sickness, slow and ineffeitive intervention, excessive protection to sick industries, long time taken in disposal of cases, misuse of certain provisions of SICA by some promoters.

†Original notice of the question was received in Hindi.